

न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/88/2022

केहरी सिंह, ग्राम पोस्ट कासोट, तहसील डीग

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी डीग

.....रेसपो

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 22.11.2022

अपीलार्थी केहरी सिंह, ग्राम पोस्ट कासोट, तहसील डीग की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी डीग के खिलाफ अपील प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/22/839 दिनांक 9.11.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी डीग से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलव की गई। लोक सूचना अधिकारी से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया, अपीलान्त ने अपनी अपील में अंकित किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। सूचना उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया है। इस बाबत उपखण्ड अधिकारी डीग से कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होना, अपीलार्थी के कथनों की पुष्टी करता है। अस्तु अपील स्वीकार की जाती है लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, डीग को निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के तहत बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये अपीलार्थी द्वारा चाही गई चाही गई वांछित सूचनायें अन्दर 15 दिवस में उपलब्ध करावें। निर्णय प्रति अपीलार्थी को प्रेषित हो, निर्णय की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर